

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर—द्वितीय

क्रमांक : स्था0 / 460 / 2022 / 3541

दिनांक : 28/06/2022

—:: आदेश ::—

इस न्यायक्षेत्र में कार्यरत निम्नलिखित आशुलिपिक ग्रेड-II, जिसके द्वारा राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक संस्थापन नियम, 1986 (यथासंशोधित) के तहत गति परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गई हैं तथा जो आशुलिपिक ग्रेड-I के पद के लिये विहित अर्हता रखते हैं, को उक्त नियमों में दिये गये प्रावधानों के अनुसार वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर तुरन्त प्रभाव से अस्थायी रूप से आशुलिपिक ग्रेड-I के रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के तहत पे लेवल एल-12 (पूर्व वेतनमान में ग्रेड पे-4800/-) के अन्तर्गत नियमानुसार देय वेतन-भत्तों पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.स.	कर्मचारी का नाम व पद नाम	वर्तमान पदस्थापन न्यायालय का नाम
01.	श्री अखिलेश कौशिक, आशुलिपिक ग्रेड-II	ACMM (Eco.Offences) Jaipur Metropolitan-II

नोट :-

- यदि उपरोक्त कर्मचारी का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उन्हें बिना किसी नोटिस के मूल पद पर प्रत्यावर्तित (Revert) कर दिया जावेगा।
- उपरोक्त आदेश का इन्द्राज संबंधित कर्मचारी की सेवापुस्तिका में किया जावे।
- कुछ कर्मचारीगण द्वारा पूर्व पदोन्नतियों को लेकर मा0 रा0 उच्च न्यायालय, पीठ, जयपुर में रिट याचिकाएं दायर की हैं, जिनके निर्णयाधीन उक्त पदोन्नति आदेश प्रभावित रहेंगा।
- उक्त कर्मचारी के पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जावेंगे।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर—द्वितीय

क्रमांक : स्था0 / 460 / 2022 / 3542

दिनांक : 28/06/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा), जिला न्यायालय, जयपुर महानगर—द्वितीय।
02. श्रीमान् कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर
03. संबंधित न्यायालय अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, (आर्थिक अपराध), जयपुर महानगर—द्वितीय
04. संबंधित कर्मचारी श्री अखिलेश कौशिक।
05. सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
06. निजी पत्रावली
07. आदेश पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर—द्वितीय